लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ, उ0प्र0—226007
Web. : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या :........................../सम्बद्धता/2019

दिनांक :......................................

ई—मेल/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक,
लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त समस्त महाविद्यालय,
लखनऊ।

महोदय/महोदया,

प्रायः देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों द्वारा शिक्षकों की चयन समिति उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम का अनुपालन नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में सूच्य है कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा—31(4)(घ) में निम्नवत् प्राविधान है :—

(i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा नाम—निर्दिष्ट प्रबन्ध का एक सदस्य जो उसका अध्यक्ष होगा।

(ii) महाविद्यालय का प्राचार्य

(iii) सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष यदि लागू हो तो

(iv) कुलपति के दो नाम निर्देशिती जिनमें से एक विषय विशेषज्ञ होना चाहिए।
परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में यह उप खण्ड लागू नहीं होगा।

(v) कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञ की सूची से कुलपति द्वारा पॉच सदस्यों के पैनल में से संस्तुत प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले दो विषय विशेषज्ञ जो महाविद्यालय से सम्बन्धित न हों।
परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में विशेषज्ञों को प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गये एवं कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित पॉच विशेषज्ञों के पैनल में से प्रबन्ध समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि सहयुक्त महाविद्यालयों में (बी0एड0/बी0पी0एड0 को छोड़कर) विभागाध्यक्ष के पद नहीं होते हैं। अतएव चयन समितियों में विभागाध्यक्ष के रूप में किसी शिक्षक का प्रतिभाग करना नियमानुकूल नहीं होगा।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि विभिन्न विषयों में शिक्षकों के चयन हेतु चयन समिति का गठन उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की उपरोक्त प्राविधानानुसार करके ही चयन समितियां सम्पन्न कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में चयन समिति की संस्तुतियां स्वीकार्य नहीं की जायेंगी।

भवदीय

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव

संख्या : Af/26302—03 दिनांक : 19.11.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. इंचार्ज, वेबसाईट/कम्प्यूटर केन्द्र को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को ई—मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाईल।

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव